तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ता... में जारी हुए
	10/अपील/2025 सरोज शर्मा / / गिरधर शर्मा	
05/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महो० राजकार्य में व्यस्त है। मिसल साबेक कार्यवाही हेतु दिनांक 13.01.26 को पेश हो। रीडर	
13/01/26	वकुलाय उपस्थित। P.O. सा. अवकाश पर है। मिसल वास्ते बहस प्रा.पत्र 27/01/26 को पेश हो।	
27/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महो० राजकार्य में व्यस्त है। मिसल साबेक कार्यवाही हेतु दिनांक 03.02.26 को पेश हो। रीडर	
03/2/26	वकुलाय उपस्थित। बहस प्राथनापत्र सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश प्रा.पत्र में 10/2/26 को पेश हो।	
10/2/26	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। दौराने बहस वकील रेस्पो0 का कथन रहा कि खातेदार पुरूषोत्तम शर्मा की वाकेग्राम माटून्दा में स्थित अपील विषयक भूमियों बाबत वसीयत के आधार पर तहसीलदार बून्दी द्वारा धारा 135(2) एलआर एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी वारिसानों को सुनते हुये दिनांक 24.01.2025 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 17.02.2025 को नामा.सं. 4498 वसीयतग्रहिता गिरधर शर्मा के पक्ष में तस्दीक किया गया है। धारा 135(2) एलआर एक्ट में दर्ज प्रकरण में पारित आदेश की पालना तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से अपील खारिज की जावे। साथ ही विकल्प में आगे कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपील में खातेदार पुरूषोत्तम शर्मा का सूजरा दर्शाया हुआ है। जिसके अनुसार पुत्र रेस्पो. सं.1, अपीलांटस एवं ज्योति शर्मा उर्फ दर्शना देवी तीन पुत्रियां तथा विधवा सुमित्रा है। लेकिन अपीलांट द्वारा जानबूझकर खातेदार की विधवा सुमित्रा एवं अन्य पुत्री ज्योति शर्मा	

जिला कलेक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10/अपील/25 सरोज शर्मा/गिरधर शर्मा	

उर्फ दर्शना देवी को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में आवश्यक पक्षकार होने से प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. स्वीकार किया जाकर विधवा सुमित्रा एवं पुत्री ज्योति को इस अपील में पक्षकार बनाया जावे। साथ ही निवेदन किया गया कि जबकि वकील अपीलांटस की आपत्ति रही कि उक्त प्रकरण नामान्तरण की अपील है जिसमें किसी भी प्रकार के हक अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है चूंकि मा0 न्यायालय विचारण न्यायालय नहीं है तथा आदेश 1 नियम 10 सी.पी. सी. वादपत्र के विचारण में लागू होती है। सभी वारिसान प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से धारा 135(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके निजी उत्तराधिकार कानून के अनुसार ही नामा0 दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा सजरे में वर्णित पुत्रियों व माता द्वारा गिरधर गोपाल के हक में कोई हकत्याग नही किया गया है तथा रेस्पो0 के हक में की गई वसीयत अनरजिस्टर्ड है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामा. अस्वीकार किये जाने योग्य है। ऐसे में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा अपील सं. 10/2025 बउनवान श्रीमती सरोज शर्मा बनाम गिरधर शर्मा वगै. का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट हुआ कि ग्राम माटून्दा में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 3653/93, 3650/106 व 3653/2964 के खातेदार पुरूषोत्तम शर्मा के देहान्त के बाद गिरधन शर्मा एवं श्रीमती सरोज शर्मा द्वारा नामान्तरण दर्ज करने बाबत तहसीलदार बून्दी के समक्ष पृथक–पृथक आवेदन पत्र पेश किये गये। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर विवाद की स्थिति में सभी वारिसानों की सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गई। पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये तथा गवाहान के बयान दर्ज किये गये। बाद सुनवाई उभय पक्षकारान मुताबिक वसीयतनामा नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 24.01.2025 पारित किया जाकर पटवारी हल्का को जारी किया गया।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 135(2) के अधीन पक्षकारान को सुनकर विवादित आदेश पारित किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि पक्षकारान द्वारा परस्पर विरोधी कथन किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश Contested अर्थात् विवादित नामान्तकरण का मामला है । राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 75(1)(डी) के तहत कलक्टर लेण्ड रेकार्ड को अविवादित (Undispted)

जिला कलक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10/अप्रैल/25 सरोज शर्मा / गिरधर शर्मा	
	नामान्तकरण की अपील सुनवाई के अधिकार है, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 75(1)(एफ) के अधीन विवादित नामान्तकरण की अपील के क्षैत्राधिकार डायरेक्टर, लेण्ड रेकार्ड में निहित है, जैसा कि आर.आर.डी. 1989 पेज 226 में परिपादित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील क्षैत्राधिकार से परे होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 1 नियम 10 जा.दी. औचित्यहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्टस क्षेत्राधिकार के अभाव में इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। जिला कलेक्टर; बून्दी	